सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 142/2018

बउनवान

रामनिवास आयु 50 वर्ष पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी महुवाखेडा तहसील अटरू जिला बारॉ **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार कवाई जिला बारां **(रेस्पोडेन्ट)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 11.3.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 201/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 25.3.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम पाडलिया की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2071 में खसरा नम्बर 143 की रकबा 0.50 हेक्टयर भूमि पर फसल सरसो की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दो माह (60 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 250/– रूपये तावान राशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 21.12.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति मे एकतरफा निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे बेदखलीनामा पर तारीख नही है कि अपीलांट को कब बेदखल किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.12.2018 को पुलिस तलाशने गांव मे आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 17.12.2018 को आवेदन पेश कर दिनांक 17.12.2018 के नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई के प्रकरण संख्या 201/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम रामनिवास पुत्र हजारी लाल मीणा निवासी महुवाखेडा तहसील अटरू की अपील इस न्यायालय मे पूर्व मे प्रस्तुत की जा चुकी हैं। जो प्रकरण संख्या 128/2016 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.9.2016 से खारिज की जा चुकी है। अतः उक्त अपील मे कार्यवाही ड्रोप की जावे।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के कथन से हम पूर्णतया सहमत है। परिणाम स्वरूप अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील मे कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां